राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांक : एफ 20 (9) ( ) DCR-/JJ Act./ CWC/मनोनयन पार्ट–2./15/ 43686 जयपुर 18/11/16
दिनांकः

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषयः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत्।

प्रसंगः विभागीय जारी विज्ञप्ति पत्रांक 42921 दिनांक 15.11..2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ 1(8)सामान्य/सान्याअवि/2015/29104–204 दिनांक 15.07.2015 के आदेशों के तहत जिला स्तर पर बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाईयों को मर्ज कर दिया है।

निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग के पत्रांक **42921 दिनांक 15.11..2016** के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु वर्णित अर्हताऐं रखने वाले गैर राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट को दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट पर बाल कल्याण समिति में सामाजिक कार्यकत्ताओं के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र अपलोड़ करवाने का श्रम करावें।

(एन.एल.मीना)
आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के मनोनयन हेतु नवीन आवेदन पत्र

जिले का नामः–..

1.	आवेदक का नाम		**आवेदक की नवीन फोटो**
2.	पिता/पति का नाम		
3.	जन्म तिथि (आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)		
4.	शैक्षणिक योग्यता		
5.	व्यवसायिक योग्यता		
6.	अन्य योग्यता		
7.	वर्तमान व्यवसाय (आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं हो,जो समिति के कार्य के लिए पूर्ण समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो)		
8.	ऑफिस का पूर्ण पता		
9.	निवास का पूर्ण पता		
10.	ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल. नम्बर		
11.	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
12.	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभव की		

	अवधि देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
13.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
14.	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्व हो चुका है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें।	
15.	क्या आवेदक के विरूद्व वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या पुलिस के पास दर्ज है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें।	
16.	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित है/रहा है, यदि हॉ तो उल्लेखित करें।	
17.	क्या आवेदक इस समिति के कार्य के लिए आवश्यक/पूर्ण समय व ध्यान देने के लिए तैयार है।	
18.	क्या आवेदक पूर्व में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं तो उक्त पद पर रहने की अवधि का उल्लेख करें। (पुष्टि/ साक्ष्य हेतु बिन्दु संख्या 14 से 18 तक के लिए स्वप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करें।)	
19.	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का संचालन कर रहे है, तो उल्लेख करें।	
20.	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता हैं)	

नोटः भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

संलग्न ....

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.– 0141–2399335, 2399336 ई मेल– ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 20(8) (2)बा.अ.वि./ICPS/बा.क.स./गठन एवं संचालन/16/ 42921 जयपुर दिनांकः 15/11/16

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिलें में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु एक या अधिक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं 1 बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक बाल कल्याण समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

1. किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति, कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोविकृति–विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।
2. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति ,जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदिः–

   a) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,

   b) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमता प्रदान नहीं की गई है,

   c) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

i. समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आवेदन के समय आयु 35 वर्ष से कम न होगी।

ii. बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत/अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास किसी क्षेत्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

iii. वह किसी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (एस.ए.ए.) से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

इस क्रम में राज्य के बाडमेर (2–सदस्य के रिक्त पद हेतु), जालोर (1–सदस्य के रिक्त पद हेतु) तथा अजमेर (1–अध्यक्ष के रिक्त पद हेतु) **जिले** की बाल कल्याण समिति में रिक्त पद भरने हेतु चयन किया जाना है। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों का चयन अधिकतम 3 वर्ष अथवा रिक्त समय के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अतः बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सदस्यों के पदों के विरूद्व मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 12.12..2016 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, **www.dcrraj.in** से प्राप्त किए जा सकते है एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

(एन.एल.मीना)
आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

क्रमांकः एफ 20(8) (2)बा.अ.वि./ICPS/बा.क.स./गठन एवं संचालन/16/ 42922 - 992 जयपुर दिनांकः 15/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
6. निदेशक्र, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सहायक निदेशक/प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ———————— को प्रेषित कर निवेदन है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक 22.12.2016 तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलबध रहे।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ——————।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक
10. न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रर्दशनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव